भारत के राजपत्र असाधारण भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

विदेश व्यापार महानिदेशालय

उद्योग भवन

<u>सार्वजनिक सूचना सं0 37 (आर0ई0-2010)/2009-2014</u>

दिल्ली, दिनांक: 8 मार्च, 2011

विषयः सोना मसूरी और पोन्नी साम्बा चावल के निर्यात के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी)।

विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैरा 2.4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्द्वारा गैर-बासमती चावल (सोना मसूरी, पोन्नी साम्बा और मट्टा चावल किस्में) के 1,50,000 मीट्रिक टन के निर्यात की प्रक्रिया से संबधित सार्वजनिक सूचना सं. 36 (आर ई-2010)/2009-14 दिनांक 01.03.2011 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं। अधिसूचना सं. 21 (आर ई-2010)/2009-14 दिनांक 10 फरवरी, 2011 के द्वारा चावल की इन तीन किस्मों का निर्यात संबंधित मात्रा सीमा के साथ अनुमत किया गया था।

2. सार्वजनिक सूचना सं. 36(आर ई-2010)/2009-14 दिनांक 01.03.2011 के पैरा 3 के अंत में सं. (iv) के बाद एक नया उप-पैरा (v) जोड़ा जाएगा। नया उप-पैरा 3 (v) निम्नानुसार होगाः

"3. ....

(v) गैर-बासमती चावल की सोना मसूरी और पोन्नी साम्बा किस्मों का निर्यात 850 अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) की शर्त के अधीन होगा।"

3. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

चावल की सोना मसूरी, पोन्नी साम्बा और मट्टा किस्में अधिसूचना सं. 21 दिनांक 10.2.2011 के अनुसार निर्यात के लिए अनुमत की गई थीं। अब सोना मसूरी चावल और पोन्नी साम्बा चावल के लिए 850 अमरीकी डालर का न्यूनतम निर्यात मूल्य निर्धारित किया गया है। मट्टा चावल के लिए कोई न्यूनतम निर्यात मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है। सार्वजनिक सूचना सं. 36 (आर ई-2010)/2009-14 दिनांक 01.03.2011 की अन्य शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं है।

(अनुप के. पूजारी)

महानिदेशक, विदेश व्यापार

ई-मेलः dgft@nic.in

(फा0सं0.01/91/180/775/एएम10/एक्सपोर्ट सैल से जारी)